INDIA NON JUDICIAL

IN-UP02041024682566V

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	**IN-UP02041024682566V**
Certificate Issued Date	:	30-Aug-2023 04:57 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14417904/ AZAMGARH SADAR/ UP-AZG
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14417904996601591794 65V
Purchased by	:	RAINBOW CHARITABLE TRUST AZAMGARH
Description of Document	:	Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	RAINBOW CHARITABLE TRUST AZAMGARH
Second Party	:	Not Applicable
Stamp Duty Paid By	:	RAINBOW CHARITABLE TRUST AZAMGARH
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

Please write or type below this line

NOTARIAL NOTARIAL

NOTARY GOVT OF U.P. INDIA

NOTARY GOVT OF U.P. INDIA

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

हम प्रियंका पाण्डेय एंव शशि कुमार पाण्डेंय कमशः अध्यक्ष एंव सचिव रेनबो चेरिटेवल ट्रस्ट तिवारीपुर गोपालपुर सदर आजमगढ शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करतें हैं

1. यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा रेनबो फार्मेसी कालेज महुआ मुरारपुर सठियांव आजमगढ नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी सस्थान की स्थापना सत्र 2023–24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी /ट्रस्ट के नाम.............................. महुआ मुरारपुर सठियांव आजमगढ जहा पर भूमि स्थित है में गाटा संख्या 521 एंव................ 2.48एकड़.........रकबा कमशः..............................एंव 1.0036..............हेक्टेयर (कुल रकबा . 1.0036.......हेक्टेयर) भूमि हैं।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नही चल रहा हैं और भूमि विवाद रहित हैं।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या .... 521.. एंव ....रकबा ....कमशः ....एंव.............हेक्टेयर (कुल रकबा 1.0036.......... हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोगा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक15.01.2022द्वारा पारित किया गया हैं।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालय हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया हैं।
6. यह कि निरीक्षण समिति के सक्षम उपरोक्त पते पर सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम भूमि एंव उस पर निर्मित एंव निर्धारित भवनो को ही निरीक्षक समिती के सक्षम निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।
7. यह कि इस भूमि एंव इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया ,नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी सस्थान का ही संचालन किया जायेगा ।

INDIA

8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यकम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यकम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यकमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

Priyanka Pandey
ह0 अध्यक्ष
संस्थापक
रेनबो चैरिटेबल ट्रस्ट
मुरारपुर, सठियाँव
आजमगढ

Shashi
ह0 सचिव
Secretary

2.9.23